

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान जयपुर।

क्रमांक : राजपत्रित/सामान्य/प-121/2011/326

दिनांक :- 31/5/2011

—: आदेश :-

निदेशक, राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, झालाना इन्स्टिट्यूशनल एरिया, दूरदर्शन के पास, जयपुर द्वारा आयोजित दिनांक 13.06.11 से 25.06.11 तक (दो सप्ताह) Foundation Course हेतु निम्नलिखित चिकित्सा अधिकारियों को मनोनीत किया जाता है :-

क्रं. सं.	अधिकारी का नाम	पदनाम	पदस्थापन स्थान
1.	डा० मनोज गुप्ता	चि०अ०	सामु०स्वा०केन्द्र सेवर (अजमेर)
2.	डा० अजीत कुमार	चि०अ०	प्रा०स्वा०केन्द्र मलाना (अलवर)
3.	डा० मीनाक्षी धाकड़	चि०अ०	प्रा०स्वा०केन्द्र माहीडेम (बांसवाडा)
4.	डा० अनिल कुमार सोनी	चि०अ०	प्रा०स्वा०केन्द्र नाहरगढ (बांरा)
5.	डा० बाबूलाल मीणा	चि०अ०	प्रा०स्वा०केन्द्र बाकासर (बाडमेर)
6.	डा० लोकेन्द्र पाल सिंह	चि०अ०	प्रा०स्वा०केन्द्र कोरेर (भरतपुर)
7.	डा० विनोद कुमार	चि०अ०	प्रा०स्वा०केन्द्र शकरगढ (भीलवाडा)
8.	डा० शिल्पा गोदारा	चि०अ०	प्रा०स्वा०केन्द्र महाजन (बीकानेर)
9.	डा० अजय राज सिंह हाडा	चि०अ०	प्रा०स्वा०केन्द्र बामणगांव (बून्दी)
10.	डा० राहुल कनखेडिया	चि०अ०	सामु०स्वा०केन्द्र बस्सी (चित्तौडगढ)
11.	डा० पबन कुमार पडिहार	चि०अ०	सामु०स्वा०केन्द्र सांखू (चूरु)।
12.	डा० अवन्तिका अग्रवाल	चि०अ०	प्रा०स्वा०केन्द्र बारेह (धौलपुर)
13.	डा० रामावतार मीणा	चि०अ०	प्रा०स्वा०केन्द्र डीडवाना (दौसा)
14.	डा० बालमुकन्द	चि०अ०	प्रा०स्वा०केन्द्र कांबा (डूंगरपुर)
15.	डा० सुनील कुमार सुरवा	चि०अ०	प्रा०स्वा०केन्द्र कलाना (हनुमानगढ)
16.	डा० रोहित दान्दोरिया	चि०अ०	सामु०स्वा०केन्द्र मनोहरपुर (जयपुर)
17.	डा० अजय कुमार गुप्ता	चि०अ०	प्रा०स्वा०केन्द्र श्रीनगर (अजमेर)
18.	डा० देवेन्द्र अटल	चि०अ०	प्रा०स्वा०केन्द्र रोजवाडी (जयपुर)
19.	डा० विकास मीणा	चि०अ०	प्रा०स्वा०केन्द्र बुटाला (उदयपुर)
20.	डा० राजीव सिंह	चि०अ०	सामु०स्वा०केन्द्र सांकडा (जैसलमेर)
21.	डा० विरेन्द्र कुमार	चि०अ०	प्रा०स्वा०केन्द्र जाखडी (जालौर)
22.	डा० संजू मीणा	चि०अ०	प्रा०स्वा०केन्द्र थानावाड (झालावाड)
23.	डा० संदीप कुल्हरी	चि०अ०	प्रा०स्वा०केन्द्र टमकोर (झुन्झुनू)
24.	डा० प्रकाश चन्द्र	चि०अ०	प्रा०स्वा०केन्द्र सावरीज (जोधपुर)
25.	डा० मुकेश चन्द मीणा	चि०अ०	सामु०स्वा०केन्द्र गुढाचन्द्रजी (करौली)
26.	डा० कमल मीणा	चि०अ०	प्रा०स्वा०केन्द्र सुकेत (कोटा)
27.	डा० ओम प्रकाश यादव	चि०अ०	प्रा०स्वा०केन्द्र भगवानपुरा (नागौर)
28.	डा० विजेता डांगी (गर्ग)	चि०अ०	सामु०स्वा०केन्द्र सोजत रोड (पाली)
29.	डा० हर्ष कुमार जांगीड	चि०अ०	प्रा०स्वा०केन्द्र केलामेला (प्रतापगढ)
30.	डा० प्रशान्त पाटीदार	चि०अ०	प्रा०स्वा०केन्द्र लाम्बोडी (राजसमन्द)
31.	डा० ममता गुणावत	चि०अ०	प्रा०स्वा०केन्द्र बालेर (सवाईमाधोपुर)
32.	डा० मुकेश पालीवाल	चि०अ०	प्रा०स्वा०केन्द्र कांवट (सीकर)
33.	डा० मनीष कुमार टेलर	चि०अ०	प्रा०स्वा०केन्द्र वराडा (सिरोही)
34.	डा० गुरजीत सिंह दालीवाल	चि०अ०	प्रा०स्वा०केन्द्र उदसर (श्रीगंगानगर)
35.	डा० मनीष कुमार कुमावत	चि०अ०	प्रा०स्वा०केन्द्र पराना (टोंक)

उक्त सभी चिकित्सकों को निर्देशित किया जाता है कि उक्त कोर्स में भाग लेने हेतु दिनांक 12.06.11 को सांयकाल निर्धारित स्थान पर अपनी उपस्थिति दर्ज करवायेगें अन्यथा श्रीमान् प्रमुख शासन सचिव महोदय के पत्रांक प.6)ट्रेनिंग(पी.एल.-2)आरएचएसडीपी/07/4405

दिनांक 14.06.07 के अनुसार में अनुपस्थित रहने पर प्रशिक्षण राशि इनके वेतन से वसूली की जावेगी एवं सीसीए नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही भी प्रस्तावित की जावेगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं की होगी। मुख्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा उक्त मनोनीत प्रशिक्षणार्थी को विशेष कठिन परिस्थिति होने पर उनके स्थान पर अन्य उस चिकित्सक को मनोनीत करेंगे जिसने पूर्व में यह प्रशिक्षण नहीं लिया हो साथ ही प्रशिक्षण में जाने वाले चिकित्सक को यह भी निर्देशित करावें कि प्रशिक्षण के दौरान केवल प्रशिक्षणार्थी हेतु ही आवास व्यवस्था की गई है, इसलिए अन्य (पारिवारिक सदस्य/मित्र को भी) किसी को भी वहां ठहरने की अनुमति नहीं दी जावेगी।

**नोट :-** यात्रा भत्ता टैक्सी/स्वयं की कार इत्यादि का यात्रा भत्ता देय नहीं है

निदेशक (जन स्वास्थ्य)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें  
राजस्थान जयपुर।

क्रमांक : राजपत्रित/सामान्य/प-121/2011/326

दिनांक : 31/5/2011

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. मिशन निदेशक, एनआरएचएम, मुख्यालय जयपुर को उनके कार्यालय की डायरी संख्या 2092 दिनांक 21.04.11, 1869 दिनांक 15.04.11 एवं 2029 दिनांक 25.04.11 के क्रम में।
3. निजी सहायक, परियोजना निदेशक (आरएचएसडीपी), मुख्यालय जयपुर।
4. निदेशक, राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, झालाना इन्स्टिट्यूशनल एरिया, दूरदर्शन के पास, जयपुर को उनके पत्रांक एफ.2(1)/SIHFW/GB/2008/87-88 दिनांक 07.04.11 के क्रम में भेजकर लेख हैं कि प्रशिक्षण में उपस्थित प्रशिक्षणार्थियों की सूचना एवं प्रशिक्षण में अनुपस्थित रहने वाले प्रशिक्षणार्थियों की सूचना भिजवावें, ताकि उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जा सकें।
5. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन-जयपुर/कोटा/भरतपुर/उदयपुर/जोधपुर/बीकानेर/अजमेर।
6. संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को भेजकर लेख हैं कि आपके अधीन कार्यरत उक्त चिकित्सक को उक्त प्रशिक्षण में दिनांक 12.06.11 को सांय प्रशिक्षण स्थल पर उपस्थित होने हेतु निर्देशित करते हुए कार्यमुक्त करें।
7. संबंधित चिकित्सक द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
8. प्रभारी, कम्प्यूटर सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख हैं कि उक्त आदेश को विभाग की वैबसाइट पर डलवाने की व्यवस्था करावें।
9. आदेश/रक्षित पत्रावली।

अति० निदेशक (राजपत्रित)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें  
राजस्थान जयपुर।